उत्तराखण्ड शासन
श्रम एवं सेवायोजन विभाग
संख्याः– 474(2)/ VIII / 12–35(श्रम) / 2011
देहरादून, दिनाँकः 17 मई, 2012

(22)

अधिसूचना

राज्यपाल, अधिसूचना संख्याः 2277 / VIII / 680–श्रम / 2005 टी.सी.–II दि. 23 नवम्बर, 2005 एवं अधिसूचना संख्याः 2278 / VIII / 680–श्रम / 2005 टी.सी.–II, दि. 23 नवम्बर, 2005 के क्रम में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 3 एवं 5 सपठित भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार उपकर नियमावली, 1998 के नियम–2 के खण्ड (च) एवं (छ) तथा नियम–4, 5 एवं 7 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उपर्युक्त अधिनियम में परिकल्पित कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन के प्रयोजनों से नीचे दी गयी अनुसूची के स्तम्भ–2 में उल्लिखित अधिकारियों को भी स्तम्भ–3 में उल्लिखित उनकी अधिकारिता के अंतर्गत उनके सीधे नियंत्रणाधीन अथवा ठेकेदारों के माध्यम से, जिनमें दस या दस से अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित हों, निर्मित कराये जाने वाले समस्त भवनों एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों, जिनमें दस लाख रूपये से अधिक के निर्माण लागत वाले निजी रिहायशी आवास भी सम्मिलित हैं, पर भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (अधिनियम संख्या 28 सन् 1996) के अधीन उपकर निर्धारण एवं उपकर संग्रहण हेतु "निर्धारण अधिकारी / प्राधिकारी" एवं "उपकर संग्राहक" के रूप में नियुक्त करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

क्र. सं.	अधिकारी का पद नाम	क्षेत्रीय अधिकारिता
1	2	3
1	सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड	(क) उनके द्वारा अथवा उनके नियंत्राधीन कराये जाने वाले समस्त प्रकार के निर्माण कार्य; (ख) जहाँ निर्माण कार्यों हेतु प्राधिकरण का अनुमोदन आवश्यक हो।
2	लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड के अधिशासी अभियंता स्तर से अनिम्न अधिकारी	उनके द्वारा अथवा उनके नियंत्राधीन कराये जाने वाले समस्त प्रकार के निर्माण कार्य।
3	सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड के अधिशासी अभियंता स्तर से अनिम्न अधिकारी	उनके द्वारा अथवा उनके नियंत्राधीन कराये जाने वाले समस्त प्रकार के निर्माण कार्य।
4	उत्तराखण्ड पावर कॉरपोरेशन के अधिशासी अभियंता स्तर से अनिम्न अधिकारी	उनके द्वारा अथवा उनके नियंत्राधीन कराये जाने वाले समस्त प्रकार के निर्माण कार्य।
5	उत्तराखण्ड पेयजल निगम निर्माण विंग तथा उत्तराखण्ड जल संस्थान के अधिशासी अभियंता स्तर से अनिम्न अधिकारी	उनके द्वारा अथवा उनके नियंत्राधीन कराये जाने वाले समस्त प्रकार के निर्माण कार्य।
6	नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी	(क) उनके द्वारा अथवा उनके नियंत्राधीन कराये जाने वाले समस्त प्रकार के निर्माण कार्य; (ख) जहाँ निर्माण कार्यों हेतु प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्यक हो।
7	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत तथा कार्याधिकारी, जिला पंचायत	(क) उनके द्वारा अथवा उनके नियंत्राधीन कराये जाने वाले समस्त प्रकार के निर्माण कार्य;

प्रभाग............ डायरी सं. ...... दिनांक 24/5/2012
प्र.अ./सहायक/उप श्रमायुक्त

E.E. कृपया अनुपालन ... 24/5/12
W.P. Singh
24/5/2012
सम्बन्धित लिपिक अधिसूचना G.O. on file पर संरक्षित करें 28/5/12

		(ख) जहाँ निर्माण कार्यों हेतु प्राधिकरण अनुमोदन आवश्यक हो।
8	सहायक/उप/अपर श्रम आयुक्त	उनके द्वारा अथवा उनके नियंत्राधीन कराये जाने वाले समस्त प्रकार के निर्माण कार्य तथा उनकी स्थानीय अधिकारिता के अन्तर्गत समस्त निर्माण कार्य।

2. उपरोक्त नियुक्त अधिकारी अपनी अधिकारिता के भीतर उपकर निर्धारण एवं संग्रह के लिए उत्तरदायी होंगे और संग्रहीत उपकर को संग्रह से तीस दिवसों के अन्दर उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड, हल्द्वानी के खाते में जमा करेंगे।

3. अपर/उप/सहायक श्रम आयुक्त, जिन्हें निर्धारण अधिकारी/प्राधिकारी एवं उपकर संग्राहक नियुक्त किया गया है, अपनी अधिकारिता के अंतर्गत उपकर निर्धारण एवं संग्रहण के प्रभावी कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु उत्तरदायी होंगे तथा उपकर निर्धारण एवं संग्रहण के प्रासंगिक विधिक प्राविधानों तथा उत्तराखण्ड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को उसके प्रेषण के संबंध में अन्य विभागों के अधिकारियों को, जैसा और जब अपेक्षित हो, समुचित मार्गदर्शन भी करेंगे।

(एस. रामास्वामी)
प्रमुख सचिव।

संख्याः-474. (3)/VIII/12-35(श्रम)/2011, तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्षों को इस आशय से प्रेषित की जाती है कि शासनादेश की प्रति अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अनुपालनार्थ उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूँ मण्डल, नैनीताल/गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
6. अपर/उप श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड।
7. समस्त उपकर निर्धारण अधिकारी तथा उपकर संग्राहक उत्तराखण्ड।
8. समस्त सहायक श्रम आयुक्त/समस्त पंजीकरण अधिकारी/समस्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी।
9. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशयक से प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को आगामी असाधारण राजपत्र में प्रकाशित करते हुए 50 प्रतियाँ शासन को तथा 50 प्रतियाँ श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(किशन नाथ)
अपर सचिव।

सं.- 1943/VIII/10-680(श्रम)/2002 TC

(21) (11

प्रेषक,

विनीता कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय निगम।
6. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एम.डी.डी.ए.), देहरादून।
7. उपाध्यक्ष, हरिद्वार विकास प्राधिकरण (एच.डी.ए.), देहरादून।
8. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, देहरादून तथा समस्त अधिशासी अधिकारी --स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
9. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
10. श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल)।
11. विभागाध्यक्ष, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग/उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन एवं निर्माण निगम/उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम/लोक निर्माण विभाग।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग — देहरादून दिनांक 16 नवम्बर, 2010

विषयः— <u>भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के कल्याणार्थ गठित उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं के लिए भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत कल्याण बोर्ड के पक्ष में उपकर का भुगतान।</u>

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 275/VIII/680—श्रम टीसी—II/02 दिनांक 16 फरवरी, 2006 (प्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण्य करने का कष्ट करें।

2. आप अवगत है कि भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 सपठित उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) नियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत भवन, गलियारें, विद्युत उत्पादन, पारेषण तथा वितरण, जल—कल, तेल एवं गैस इन्स्टालेशन, बांध, नहर, जलाशय, सुरंग, पुल, पाईप लाईन, टावर्स, वायरलैस, टेलीविजन, टेलीफोन आदि से सम्बन्धित निर्माण, मरम्मत, रख—रखाव, परिवर्तन, ध्वस्तीकरण आदि कार्यों में काम करने वाले श्रमिकों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराये जाने हेतु उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, जिसकी आय का मुख्य श्रोत भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 सपठित भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के अन्तर्गत भारत सरकार की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 2899 दिनांक 26 सितम्बर, 1996 द्वारा निर्धारित निर्माण कार्य के कुल लागत धनराशि (भूमि की कीमत तथा कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अन्तर्गत दिया गया/देय प्रतिकर को छोड़कर) का एक प्रतिशत (1%) देय उपकर है।

3. उपरोक्त दोनों अधिनियम प्रस्तर 2 में उल्लिखित समस्त निर्माण कार्यों (सरकार के नियन्त्रणाधीन, कार्पोरेट अथवा फर्म, किसी व्यक्ति विशेष या एसोसियेशन, स्थानीय निकाय आदि द्वारा संचालित), जिनमें 10 या 10 से अधिक निर्माण श्रमिक नियोजित हो, से सम्बन्धित प्रतिष्ठानों पर लागू होते हैं। किन्तु निजी आवासीय ऐसे भवन निर्माण पर लागू नहीं होते है, जिनकी निर्माण लागत रू. 10 लाख से अनाधिक है। तद्नुसार ऐसे सभी सन्निमार्ण प्रतिष्ठानों के सेवायोजकों, जिनमें संविदाकार भी

सहायक श्रम आयुक्त, हल्द्वानी.

20/11/10 — 862

(17)

सम्मलित हैं, द्वारा उपरोक्त अधिनियमों के उपबन्धों का परिपालन सुनिश्चित किया जाना बन्धनकारी है और निर्धारित निर्माण लागत का एक प्रतिशत उपकर उपरोक्त कल्याण बोर्ड को भुगतान करना उनका विधिक दायित्व है।

4. सेवायोजक द्वारा उपकर का भुगतान निर्माण कार्य के पूर्ण होने के 30 दिन के भीतर अथवा उपकर निर्धारण के 30 दिन के भीतर, जो भी पहले हो, सैस कलेक्टर को भुगतान किया जाय। किन्तु निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की दशा में प्रथम वर्ष की निर्माण लागत पर उपकर निर्माण कार्य प्रारम्भ होने के एक वर्ष के उपरान्त के एक माह के भीतर तथा तदोपरान्त प्रतिवर्ष इसी प्रकार उस वर्ष की निर्माण लागत पर भुगतान किया जायेगा।

5. सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों की दशा में उपकर का भुगतान सरकार अथवा सार्वजनिक उपक्रम द्वारा निर्माण कार्य के लिए किये जाने वाले बिलों में से कटौती करके किया जायेगा।

6. जहां निर्माण कार्य की स्वीकृति किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित हो वहां निर्माण कार्य से सम्बन्धित प्रतिष्ठान द्वारा ऐसी स्वीकृति हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ कल्याण बोर्ड को देय अनुमानित उपकर का रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट भी प्रस्तुत किया जायेगा। किन्तु निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक की होने की दशा में आगामी वर्षों के लिए उपरोक्त प्रस्तर–4 के अनुसार उपकर का भुगतान वर्षवार किया जा सकता है।

7. किसी सेवायोजक द्वारा अनुमानित निर्माण लागत के आधार पर अग्रिम उपकर का भुगतान भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 46 के अन्तर्गत प्रेषित की जाने वाली कार्यारम्भ की सूचना के साथ भी कल्याण बोर्ड को भुगतान की जा सकती है। किन्तु निर्माण कार्य की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की दशा में उपरोक्त प्रस्तर –4 में उल्लखित व्यवस्था के अनुसार आगामी वर्षों के लिए उपकर का वर्षवार भुगतान किया जा सकता है। अग्रिम भुगतान का समायोजन उपकर के अन्तिम निर्धारण के समय किया जा सकता है।

8. सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक उपक्रम स्थानीय प्राधिकारी अथवा उपकर संग्रहकर्ता द्वारा संग्रहित उपकर की धनराशि उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड को संग्रह के 30 दिन के भीतर हस्तान्तरित की जायेगी। सरकारी कार्यालय अथवा सार्वजनिक उपक्रम द्वारा उपकर संग्रह किये जाने हेतु वास्तविक संग्रह व्यय, जो संग्रहित धनराशि के एक प्रतिशत से अधिक न हो, के रूप में संग्रहित धनराशि से कटौती की जा सकती है अथवा बोर्ड से क्लेम की जा सकती है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उत्तराखण्ड राज्य में नियुक्त समस्त तहसीलदारों, उप जिलाधिकारियों तथा जिला मजिस्ट्रेटों या अपर जिला मजिस्ट्रेटों को उनकी अधिकारिता की सीमान्तर्गत उक्त उपकर अधिनियम के प्रयोजनार्थ क्रमशः सैस कलेक्टर, निर्धारण अधिकारी और विहित प्राधिकारी तथा अपील प्राधिकारी नियुक्त किया गया है। उपकर का भुगतान यथाविधि न किये जाने की दशा में अधिनियम में ब्याज, अर्थदण्ड एवं दण्ड व्यवस्था भी प्राविधानित है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपकर भुगतान के सम्बन्ध में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत संग्रहित/स्रोत पर कटौती/जमा/भुगतान/वसूल किये गये उपकर की सूचना संलग्न प्रारूप में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) तथा उत्तराखण्ड भवन और अन्य सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड, 298, हिमगिरी विहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून को उपलब्ध करायी जाय। इस सम्बन्ध में प्रगति समीक्षा मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों तथा श्रमायुक्त द्वारा आयोजित बैठकों में अवश्य कर ली जाय।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीया

(विनीता कुमार)
प्रमुख सचिव